आज दरख्वास्त पर मूल दावे के साथ
बाद जॉच पेश हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र,
शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन
किया गया, वकील सायल को सुना गया,
जिससे प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन
सायला के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

अतः आदेश है अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान दिनांक 2/7/18
तक के लिए पारित की जाकर गैरसायलान को
पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी
ख.न. 496 स्थित ग्राम पंचायत नं. 2
तहसील राजाखेड़ा पर दिनांक 2/7/18 तक
रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।
यदि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति
हो तो दिनांक 2/7/18 को इस न्यायालय में
उपस्थित होकर पेश करें। परवाना वाहे
तामील तहसीलदार राजाखेड़ा को जारी हो।
गैरसायलान के जरिये नोटिस तामील किया
जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक
02/7/18 को पेश हो।

11/6/18 पत्रावली पेश हुयी। वकील सायला एवं
सायला उपस्थित आये। चूंकि सायला मूल वाद
को आगे चलाना नहीं चाहती है इसलिए
मूल वाद के खारिज होने के कारण प्रा०पत्र 212
RTA भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)